[1997] 2 उम० नि० प० 183

नलनीकांत रामदास गुज्जर

बनाम

तुलसी बाई

9 अगस्त, 1996

न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति एम० एम० पुंछी, न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह, न्यायमूर्ति एम० के० मुखर्जी और न्यायमूर्ति एस० सगीर अहमद

मुम्बई होटल और वासगृह रेट (नियंत्रण) अधिनियम, 1947—धारा 5(8)—परिसर—यदि कोई भूखंड जो प्रकृति से कृषिक है, उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व गैर-कृषि-प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था तो वह उक्त धारा 5(8) में परिसर की परिभाषा में आता है और उस पर उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं।

वादी-प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी की बेदखली के लिए मुम्बई किराया, होटल और वासगृह रेट (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुम्बई किराया अधिनियम कहा गया है) की धारा 13 (1)(क)(ङ)(ञ) और (ट) में उल्लिखित आधारों पर प्रश्नगत वाद फाइल किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1976 की सी० आर० पी० सं० 39 में तारीख 22.7.1983 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—मुम्बई होटल और वासगृह रेट (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 में "परिसर" की परिभाषा को साधारण रूप में पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि नहीं आती है किंतु ऐसी कोई भूमि निश्चित रूप से आती है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि इस बात में विवाद नहीं है कि जब भूमि का बहुत पहले वर्ष 1889 में ही बिन्नी कंपनी को पट्टा मंजूर किया गया था तब यह खुली जगह थी और उस समय इस पर कोई भवन नहीं था। किंतु बिन्नी कंपनी ने उक्त भूमि को उस पर ओटाई और दबाई मशीनें लगाने के लिए निर्माण कराने के लिए लिया था और वास्तव में उक्त भूखंड पर भवन का निर्माण कराया गया था जिसमें ओटाई और दबाई मशीनें लगाई गई थीं। इस पृष्ठभूमि में, जब मुम्बई किराया अधिनियम प्रवृत्त हुआ तब पट्टाधृत क्षेत्र का कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था। (पैरा 7)

जहां तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है बिन्नी कंपनी के ओटाई और दबाई मशीनें लगाने के लिए पट्टा दिया गया था और यह स्वीकार किया गया है कि एक भवन निर्मित किया गया था जिसमें ओटाई और दबाई मशीनें लगाई गई थीं तथा गोदाम सन्निर्माण भी किया गया था। जब उस भूखंड को जो प्रकृति में कृषिक था बाद में उसका उपयोग गैर-कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता है, तब वह मुम्बई किराया अधिनियम की धारा 5(8) में परिसर की भाषा के अंतर्गत आता है। यह जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 5(8) का खंड (क) किसी ऐसी भूमि की जिसका उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है को परिसर की परिभाषा से अपवर्जित करती है। "नहीं किया जा रहा है" शब्द महत्वपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि अधिनियम बनाने वालों ने "परिसर" की परिभाषा में उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए यह उपदर्शित किया कि निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करना चाहा जाए। चूंकि इस मामले में इस बारें में विवाद नहीं है कि यह भूमि मुम्बई किराया अधिनियम के प्रवृत्त होने से कई दशक पूर्व गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रही थी। अतः उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होते थे। (पैरा 9)

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायानुमत था कि यह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5(8) के अर्थान्तर्गत परिसर है और उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होते थे। (पैरा 10)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[1971] [1971] 1 एस० सी० आर० 66 :
वासुदेव धनजीभाई मोदी बनाम **राजाभाई अब्दुल रहमान और अन्य;** 5

[1962] [1962] 3 एस० सी० आर० 98 :
मुसम्मात सुभद्रा बनाम **नरसाजी चेनाजी मारवाड़ी।** 5

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 1985 की सिविल अपील सं० 2795.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के 1976 की सी० आर० पी० सं० 39 में तारीख 22.7.83 को दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से कमलेन्द्र मिश्र और देवेन्द्र सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से पी० आर० रामसेश

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन० पी० सिंह ने दिया।

न्या० सिंह—बेदखली के लिए वाद में प्रतिवादी इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है। वादी-प्रत्यर्थी ने प्रतिवादी की बेदखली के लिए मुम्बई किराया, होटल और वासगृह रेट (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुम्बई किराया अधिनियम कहा गया है) की धारा 13(1)(क) (ङ)(ञ) और (ट) में उल्लिखित आधारों पर प्रश्नगत वाद फाइल किया।

2. वादी के पितामह वेंकोबाचार्य अनन्ताचार्य बुर्ली ने बगालकोट के आर०एस० सं० 62 के एक भाग को, जिसका माप पूर्व से पश्चिम 275 फुट तथा उत्तर से दक्षिण 634 फुट था, वर्ष 1889 में मद्रास की बिन्नी कंपनी को पट्टे पर दिया था। बिन्नी कंपनी ने उक्त पट्टा ओटाई और दबाई मशीन स्थापित करने के लिए निर्माण कराने और कपास का भंडारण करने के लिए गोदाम का निर्माण कराने के लिए किया था। उक्त कंपनी ने उक्त पट्टाधृत क्षेत्र पर गोदाम सहित निर्माण कराया और ओटाई और दबाई मशीनें लगवाईं। उसके पश्चात् उक्त बिन्नी कंपनी ने अपने अधिकार, हक और हित का 1929 में शिलवन्तप्पा नामक एक व्यक्ति के पक्ष में अंतरण कर दिया। बाद में, पूर्वोक्त शिलवन्तप्पा ने उसका प्रतिवादी सं० 1 और 2 के मृतक पति के पक्ष में अंतरण कर दिया।

3. बेदखली के वाद में जो वादी की ओर से फाइल किया गया था अन्य आधारों के अतिरिक्त यह अभिकथन किया गया

था कि प्रतिवादी ने प्रश्नगत परिसर को विभिन्न व्यक्तियों को जिनमें प्रतिवादी सं० 4 से 16 सम्मिलित हैं, उप पट्टे पर दिया है। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मुम्बई किराया अधिनियम पट्टाधृत क्षेत्र को, जिसके ऊपर निर्माण किया गया था, लागू नहीं होता है। वादियों की ओर से फाइल की गई अपील को जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। वादियों की ओर से फाइल किया गया सिविल पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुम्बई किराया अधिनियम के उपबंध मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को लागू होते हैं।

4. अपीलार्थी के अनुसार क्योंकि प्रारंभिक पट्टा 275 फुट×634 फुट की माप की रिक्त भूमि की बाबत पूर्वोक्त बिन्नी कंपनी के पक्ष में मंजूर किया गया था, अतः मुंबई किराया अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे।

5. यह अपील इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष सूची में थी जिसने इसे इस न्यायालय के **वासुदेव धनजीभाई मोदी** बनाम **राजाभाई अब्दुल रहमान और अन्य**[1] वाले मामले और **मुसम्मात सुभद्रा** बनाम **नरसाजी चेनाजी मारवाड़ी**[2] के मामले में दो निर्णयों के बीच मतभेद का समाधान करने के लिए सांविधानिक पीठ को निर्देशित कर दिया।

6. मुम्बई किराया अधिनियम की धारा 5(8) में "परिसर" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :—

* 'परिसर' से अभिप्रेत है—

(क) कोई भूमि जिसका कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है,

(ख) पृथक् रूप से किराए पर दिया गया भवन, या भवन का भाग (फार्म भवन से भिन्न) जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) ऐसे भवन या भवन के भाग से अनुलग्न उद्यान, मैदान, गैरेज और उपगृह हैं, यदि कोई हो,

(ii) भूस्वामी द्वारा ऐसे भवन या भवन के भाग में उपयोग के लिए प्रदाय किया गया कोई फर्नीचर,

(iii) ऐसे भवन या भवन के भाग के अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए उससे लगी हुई फिटिंग किंतु इसके अंतर्गत किसी होटल या बासा में कमरा या अन्य आवास नहीं है।"

उक्त अधिनियम में "परिसर" की परिभाषा को साधारण रूप में पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही भूमि नहीं आती है किंतु ऐसी कोई भूमि निश्चित रूप से आती है जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है। अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि इस बात में विवाद नहीं है कि जब भूमि का बहुत पहले वर्ष 1889 में ही बिन्नी कंपनी को पट्टा मंजूर किया गया था तब यह खुली जगह थी और उस समय इस पर कोई भवन नहीं था। किंतु बिन्नी कंपनी ने उक्त भूमि को उस पर ओटाई और दबाई मशीनें लगाने के लिए निर्माण कराने के लिए लिया था और वास्तव में उक्त भूखंड पर भवन का निर्माण कराया गया था जिसमें ओटाई और दबाई मशीनें लगाई गई थीं। इस पृष्ठि भूमि में, जब मुम्बई किराया अधिनियम प्रवृत्त हुआ तब पट्टाधृत क्षेत्र का कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

7. **मुसम्मात सुभद्रा के मामले**[1] (उपरोक्त) के निर्णय से प्रतीत होता है कि कतिपय भूखंड के स्वामी ने कुछ व्यक्तियों को शाश्वत पट्टा मंजूर किया था और उन्होंने इसे अधिक किराए पर उस मामले के प्रत्यर्थी को उप पट्टे पर दे दिया था। पट्टा के दस्तावेज में यह परिवर्णित किया गया था कि पट्टे पर समुचित प्राधिकारी से मंजूरी अभिप्राप्त करने के पश्चात् भूमि पर भवन निर्मित करा सकेगा। उस मामले के अपीलार्थी ने कलक्टर से भूमि का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित करने के लिए मंजूरी अभिप्राप्त की थी। तत्पश्चात् भूखंड का मुंबई किराया

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :—

'Premises' means–

(a) any land not being used for agricultural putpodrd;

(b) any building or part of a building let separately (other than a farm building) including:–

(i) the garden, grounds, garages and out-houses if any appurtenant to such building of part of a building,

(ii) any furniture supplied by the landlord for use in such building or part of a building,

(iii) any fittings affixed to such building or part of a building for the more beneficial enjoyment thereof, but does not include a room or other accommodation in a hotel or lodging house."

[1] [1971] 1 एस० सी० आर० 66.

[2] [1962] 3 एस० सी० आर० 98.

[1] [1962] 3 एस० सी० आर० 98.

अधिनियम की धारा 11 के अधीन मानक किराया तय किया गया था। इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था :-

"यह एक समान आधार है कि 11 नवंबर, 1949 तक भूखंड का निर्धारण मुंबई भू-राजस्व संहिता (बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड) के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिए किया गया था। वर्ष 1947 में भूखंड निःसंदेह परती पड़ा रहा, किंतु उस आधार पर भूमि का उपयोग परिवर्तित हुआ नहीं माना जा सकता। भूमि का उपयोग मुंबई भू-राजस्व संहिता (बाम्बे लैंड रेवेन्यू कोड) की धारा 65 के अधीन कलक्टर के आदेश द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता था। मुम्बई के 1947 के अधिनियम 57 की धारा 11 किसी सक्षम न्यायालय को उसको उस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने पर किसी परिसर का मानक किराया तय करने में समर्थ बनाता है। किंतु धारा 11 अधिनियम के भाग 2 में है और धारा 6 खंड (i) द्वारा यह उपबंध किया गया है कि उन क्षेत्रों में जो अनुसूची 1 में है, अधिनियम का भाग 2 निवास, शिक्षा, कारबार, व्यापार और भंडारण के लिए किराए पर दिए गए परिसरों को लागू होता है। यह विवाद नहीं है कि भाग 2 उस क्षेत्र को लागू होता है जिसमें भूखंड स्थित है; किंतु अपीलार्थी धारा 11 के अधीन मानक किराए के नियतन के लिए आवेदन बनाए रख सके, इसके पूर्व उसे यह सिद्ध करना होगा कि पट्टे पर दिया गया भूखंड अधिनियम की धारा 5(8) के अर्थान्तर्गत "परिसर" था और यह कि यह निवास, शिक्षा, कारबार, व्यापार या भंडारण के लिए किराए पर दिया गया था।"

यह भी कहा गया था कि यह अभिनिश्चित करने के लिए कि कथन धारा 6 के प्रयोजन के लिए भूखंड "परिसर" है तात्विक तारीख किराए पर देने की तारीख है न कि वह तारीख जिस पर किराएदार या भूस्वामी द्वारा मानक किराए के नियतन के लिए आवेदन किया गया था।

8. **वासुदेव धनजी भाई मोदी**[1] (उपरोक्त वाले मामले) में इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी अहमदाबाद में कुछ परिसरों का भूस्वामी था, जिसने बेदखली के लिए वाद फाइल किया जो अंततोगत्वा डिक्री हो गया था। डिक्री के निष्पादन के दौरान प्रतिवादी ने यह पक्ष प्रस्तुत किया कि मुम्बई किराया अधिनियम के उपबंध परिसरों को लागू नहीं थे क्योंकि भूमि का पट्टा कृषि प्रयोजनों के लिए दिया गया था। भूस्वामी की अपील मंजूर करते हुए इस न्यायालय ने कहा :—

"यह साफ है कि मुंबई किराया होटल और बासा रेट (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 [बाम्बे रेंट्स होटल एंड लाज़िंग हाउस रेट्स (कंट्रोल) ऐक्ट, 1947] के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले न्यायालय को कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूखंड के कब्जे के लिए वाद ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। पुनः यह अभिनिश्चित करने में कि क्या पट्टांतरित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है, निर्णायक तारीख वह तारीख है जिस पर अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करना चाहा गया है।"

इस न्यायालय ने **वासुदेव धनजी भाई मोदी**[1] वाले मामले में यह राय अभिव्यक्त की कि क्या मुंबई किराया अधिनियम के उपबंध लागू होंगे या नहीं, प्रश्नगत भूमि के उपयोग की प्रकृति अभिनिश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अधिकार का प्रयोग किया जाना है।

9. **मुसम्मात सुभद्रा**[2] के मामले में जो भूमि कृषि प्रयोजनों के लिए किराए पर दी गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उस पर कोई निर्माण नहीं किया गया था। भू-स्वामी ने संपरिवर्तन के लिए केवल आदेश प्राप्त किया था, जिसके आधार पर उसने मुंबई किराया अधिनियम के उपबंधों के अधीन भूखंड के मानक किराए के नियतन के लिए अर्जी फाइल की थी। जहां तक **वासुदेव मोदी**[1] के मामले का संबंध है, उस भूमि पर जो पट्टे पर दी गई है, निर्माण किया गया है, जिससे भू-स्वामी द्वारा बेदखली चाही गई है और उस संदर्भ में यह कहा गया था कि यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या मुंबई किराया अधिनियम के उपबंध लागू होंगे या नहीं, निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब अधिनियम के अधीन अधिकार का प्रयोग करना चाहा गया था। जहां तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है बिन्नी कंपनी के ओटाई और दबाई मशीनें लगाने के लिए पट्टा दिया गया था और यह स्वीकार किया गया है कि एक भवन निर्मित किया गया था जिसमें ओटाई और दबाई मशीनें लगाई गई थीं तथा गोदाम सन्निर्माण भी किया गया था। जब उस भूखंड को जो प्रकृति में कृषिक था बाद में उसका उपयोग गैर-कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता है, तब वह मुंबई किराया अधिनियम की धारा 5(8) में परिसर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यह जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 5(8) का खंड (क) किसी ऐसी भूमि को जिनका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है को परिसर की परिभाषा

[1] [1971] 1 एस० सी० आर० 66.

[1] [1971] 1 एस० सी० आर० 66.

[2] [1962] 3 एस० सी० आर० 98.

से अपवर्जित करती है। ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए 'नहीं किया जा रहा है' शब्द महत्वपूर्ण है। यह कहा जा सकता है कि अधिनियम की विरचना करने वालों ने "परिसर" की परिभाषा में उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए यह उपदर्शित किया कि निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जब अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करना चाहा जाए। चूंकि इस मामले में इस बारे में विवाद नहीं है कि यह भूमि मुंबई किराया अधिनियम के प्रवृत्त होने से कई दशक पूर्व गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाती रही थी अतः उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होते थे। हम **वासुदेव धनजी भाई मोदी** (उपरोक्त के मामले में) के व्यक्त विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

10. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायानुमत था कि यह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5(8) के अर्थान्तर्गत परिसर है और उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होते थे। तदनुसार अपील असफल होती है और खारिज की जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज की गई।

पां०/कृ०

[1997] 2 उम० नि० प० 187

प्रादेशिक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बनाम

फ्रांसिस डी कोस्टा

11 सितम्बर, 1996

मुख्य न्यायमूर्ति ए०एम० अहमदी, न्यायमूर्ति सुहास सी० सेन और न्यायमूर्ति (श्रीमती) सुजाता वी० मनोहर

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, धारा 2(8), 51 और 51-ग—निर्योग्यता प्रसुविधा (फायदा) के लिए दावा—वे तथ्य, जो उसकी (दावे की) सफलता के लिए अवश्य ही साबित किए जाने चाहिए—(1) दुर्घटना हुई थी, (2) दुर्घटना का नियोजन से कारण-कार्य संबंध था, और (3) दुर्घटना नियोजन के अनुक्रम में हुई थी। प्रस्तुत मामले में, कर्मचारी यह साबित करने में असमर्थ रहा कि दुर्घटना का उस कार्य से कारण-कार्य संबंध था, जो वह कारखाने में कर रहा था, और किसी भी दशा में, वह (दुर्घटना) नियोजन के अनुक्रम में नहीं हुई थी।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, धारा 2(8), 51 और 51-ग, सहपठित कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, धारा 3(1)—अपकृत्य—स्वामी और सेवक (संबंध)—नियोजन क्षति—उस समय, जब कर्मचारी स्वयं अपनी साइकिल पर नियोजन के स्थान पर जा रहा था, घटित दुर्घटना द्वारा कारित क्षति उक्त उपबंधों की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है—क्षति नियोजन से और उसके अनुक्रम में कारित होनी चाहिए।

पद और अर्थ—"नियोजन के अनुक्रम में" पद का शब्दकोशीय अर्थ "कार्य करने के दौरान" है। इससे यह उपदर्शित होता है कि दुर्घटना नियोजन की अवधि के अन्दर या दौरान घटित होनी चाहिए।

इसमें प्रथम प्रत्यर्थी फ्रांसिस डी कोस्टा, के साथ 26 जून, 1971 को उस समय एक दुर्घटना घटी, जब वह अपने नियोजन के स्थान, कोराटी में एक कारखाने, को जा रहा था। यह दुर्घटना उस स्थान पर घटी थी जो कारखाने के उत्तर की ओर लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर था। यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी की ड्यूटी पारी 4.30 (अपराह्न) में प्रारंभ होनी थी। प्रत्यर्थी साइकिल पर अपने कार्य के स्थान को जा रहा था। उसे अपने नियोजकों [मैसर्स जे० एंड पी० कोट्स (पी०) लिमिटेड] की गाड़ी (लारी) से टक्कर लगी थी। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी की हसली की हड्डी का अस्थि भंग हुआ और उसे 12 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। निःशक्तता प्रसुविधा के लिए उसका दावा कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील केरल उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई, जिसने उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन भी खारिज कर दिया। याची ने इस न्यायालय में 16.4.1979 को अपील करने के लिए विशेष इजाजत हेतु आवेदन फाइल किया। इस न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत दी गई किंतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रत्यर्थी को कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे शोध्य प्रतिकर और किसी भी दशा में इस अपील के खर्चों का भी संदाय करने का निदेश दिया गया। यह कथन किया गया है कि प्रतिकर धन प्रथम प्रत्यर्थी को पहले ही संदत्त कर दिया गया है। चूंकि दोनों न्यायाधीशों के बीच, जिन्होंने अपील की सुनवाई की थी, मतभेद था, इसलिए इस मामले को, इस संविवाद का विनिश्चय करने के लिए, एक बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष रखे जाने का निदेश दिया गया। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—प्रथम प्रत्यर्थी को शारीरिक क्षति हुई है—यह बात निर्विवाद है। एकमात्र विवाद यह है कि क्या यह क्षति